

13/8/22

पत्राजली शपथीप लोक अदालत तृतीय  
पत्रा उद्देश्य अथवा प्रकरण का शीर्षक  
का फैसला हो चुका है। अतः अगला  
पत्रा का नलापा जमा उचित नहीं  
है। अतः पत्राजली फैसला शुभारंभ होकर  
दाखिल इफ्तार है।

श. (सदस्य)  
लोक अदालत



तहसील विकास सेवा समिति  
अपर जिना एवं सेशन न्यायाधीश  
वादी (बीलपुर) राजगढ़